राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F/ICDS/Nut-Cell/2010-11 74103-134 जयपुर, दिनांकः 13.10.10

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त जिला ....
(बॉसवाडा को छोडकर)

विषय :— विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों से पूरक पोषाहार निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में आयुवर्ग 0—3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा आयुवर्ग 3—6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्माण एवं वितरण कराये जाने की योजनान्तर्गत चार चरणों में 160 बाल विकास परियोजनाओं एवं नवीन खुली 25 बाल विकास परियोजनाओं सहित कुल 185 परियोजनाओं में इसका विस्तार किये जाने के आदेश पूर्व में प्रसारित किये जा चुके है। योजना के चतुर्थ चरण में चयनित 62 परियोजनाओं एवं नवीन खुली 25 परियोजनाओं सहित 87 परियोजनाओं में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत अपने जिले में स्थित परियोजनाओं के लिए तुरन्त प्रभाव से सक्षम समूहों का चयन कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें। इस हेतु क्लस्टर स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण पर व्यय एवं कार्यक्रम का विस्तृत विवरण संलग्न है। बजट प्रावधान कर आपको 18 अक्टूबर, 2010 तक सूचित किया जावेगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माह अक्टूबर, 2010 में प्रशिक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों का चयन 10 अक्टूबर, 2010 तक व प्रशिक्षण 25 अक्टूबर, 2010 तक कर दिनांक 1 नवम्बर, 2010 से पूरक पोषाहार—बेबीमिक्स निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

माह नवम्बर, 2010 में प्रशिक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों का चयन 10 नवम्बर, 2010 तक व प्रशिक्षण 25 नवम्बर, 2010 तक कर दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 से पूरक पोषाहार—बेबीमिक्स निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उक्तानुसार कार्य पूर्ण करवाकर निदेशालय को सूचित करें।

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।

क्रमांक F/ICDS/Nut-Cell/2010-11 74135-151 जयपुर, दिनांकः 13-10-10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को बेबसाईट पर लोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।